[2011] 6 उ.च्.न्या.प्र. 873

बीरेन्द्र पोद्दार

बनाम

बिहार राज्य

(दांडिक अपील सं. 373/2006)

16 मई 2011

[असोक कुमार गांगुली एवं दीपक वर्मा, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302/34 एवं 498-क — हत्या — परिस्थितिजन्य साक्ष्य — विवाहिता की वैवाहिक गृह में मृत्यु — मृतका के पति एवं उसके सगे-संबंधियों द्वारा उसकी पिटाई और यातना का साक्ष्य — चिकित्सीय साक्ष्य जो मृत शरीर पर ऐसी चोटों का संकेत करता है जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं — अभिनिर्धारितः यह मानव-वध की मृत्यु का मामला था — अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं था जो यह स्थापित कर सके कि मृतका पीलिया से पीड़ित थी और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई — नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलिखित दोष के एकमत निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं — पति की दोषसिद्धि बनाए रखी गई — परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

साक्ष्यः

संबंधी साक्षी — उनकी साक्ष्य — अभिनिर्धारितः केवल इसलिए कि साक्ष्य हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दी गई है, यह उसे अस्वीकार करने का आधार नहीं है — वर्तमान मामले में मृतका के संबंधियों की साक्ष्य अत्यंत युक्तियुक्त है और इसने अभियोजन के मामले को स्पष्टतः स्थापित किया — दंड संहिता, 1860 — धारा 302/34 एवं 498-क।

अपीलकर्ता को तीन अन्य व्यक्तियों के साथ भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु कारित करने के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश सुनाया गया। अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 498-क के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की। तीन अन्य के संबंध में विशेष

अनुमति याचिका, चूँकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, खारिज हो गई और अनुमति केवल अपीलकर्ता को प्रदान की गई।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. वर्तमान मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह सत्य है कि जहाँ मृत्यु वैवाहिक गृह के भीतर होती है, वहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय को सतर्क रहना होगा और यह पता लगाना होगा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की शृंखला पूर्ण है या नहीं, और यह शृंखला इतनी पूर्ण एवं निर्णायक होनी चाहिए कि वह निर्विवाद रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करे। [कंडिका 8] [878-डी-ई]

हनुमंत गोविंद नरगुंदकर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एस.सी.आर. 1091 = ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343; *भगत राम बनाम पंजाब राज्य* ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621 और *एरादु और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य* ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316 — आश्रित।

1.2. अ. सा. 5, 6, 7 और 8 की साक्ष्य जिस पर अभियोजन ने आश्रय लिया, यह दर्शाती है कि मृतका के साथ दुर्व्यवहार का एकसंगत साक्ष्य है। अपीलकर्ता का अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और चूँकि मृतका ऐसे अवैध संबंधों की शिकायत कर रही थी, उसे यातना दी जाती थी। मृतका ने अ. सा.-8 को इस दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए कुछ पत्र लिखे थे, जिनमें से एक को प्रदर्श (प्रदर्श-1) बनाया गया है। [कंडिका-9] [878-एच; 879-ए-बी]

1.3. मृतका की पिटाई तथा उस पर चोट के निशान का भी साक्ष्य है। चिकित्सक (अ. सा.-9), जिन्होंने शव-परीक्षण किया, का स्पष्ट साक्ष्य है, और शव-परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श-4) मृतका की गर्दन एवं उदर में गहरी कर्तन चोटों को इंगित करता है, जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। [कंडिका 9, 11 और 12] [879-ए, जी-एच; 880-ए-बी]

1.4. बचाव पक्ष का यह मामला कि मृतका पीलिया से पीड़ित थी, सिद्ध नहीं हो सका। मृतका के पीलिया से पीड़ित होने और उसे कुछ उपचार दिए जाने का एकमात्र साक्ष्य अ. सा.-12 की साक्ष्य है, जिसने अपनी साक्ष्य में यह दावा नहीं किया कि वह चिकित्सा व्यवसायी है। उसने यह नहीं कहा कि मृतका पीलिया से पीड़ित थी। उसने केवल यह कहा कि उपचार के लिए मृतका को 02.09.1993 को पटना रेफर किया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने उचित ही

मत व्यक्त किया कि बचाव पक्ष का मामला अभिलेख पर की सामग्री से पूर्णतः असंगत है और यह वैवाहिक गृह में मानव-वध की मृत्यु का मामला है। [कंडिका 13] [880-सी]

1.5. शव की पहचान के संबंध में उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पहचान का सकारात्मक साक्ष्य था, न केवल मृतका के पिता (अ. सा.-8) द्वारा, बल्कि उसके चचेरे भाई और उसके सगे भाई अर्थात् अ. सा. 5 और 7 द्वारा भी। उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि यह सत्य हो सकता है कि मृत्यु और शव-परीक्षण के बीच के समय के अंतराल को देखते हुए शव में पथराव हो गया था, किन्तु शव-परीक्षण प्रतिवेदन में ऐसा कुछ नहीं है जो यह सुझाव करे कि शव पहचान से परे था। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता की ओर से चिकित्सक के प्रति-परीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह तथ्य नोट किया कि अस्पताल प्राधिकरण ने शव की अभिरक्षा बालिका के पिता को सौंप दी और तत्पश्चात शव का दाह-संस्कार किया गया। अभिलेख पर की सामग्री पर आधारित ऐसे स्पष्ट निष्कर्ष के दृष्टिगत शव की पहचान के संबंध में साक्ष्य में कोई असंगति नहीं है। [कंडिका 14] [880-डी-एफ]

1.6. मृतका के संबंधियों पर अभियोजन द्वारा आश्रय के संबंध में, विधि यह सुस्थापित है कि केवल इसलिए कि साक्षी संबंधी हैं, उनकी साक्ष्य अस्वीकार करने का आधार नहीं है। निस्संदेह यह सत्य है कि हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में अ. सा. 5, 6, 7 और 8 द्वारा दी गई साक्ष्य अत्यंत युक्तियुक्त है और इसने अभियोजन के मामले को स्पष्टतः स्थापित किया है। उच्च न्यायालय ने उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ संबंधियों की साक्ष्य का परीक्षण किया है। अतः यह न्यायालय विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय में से किसी के द्वारा उनकी साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं देखता। यही स्थिति होने पर नीचे के न्यायालयों द्वारा अभिलिखित एकमत निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। [कंडिका 15 और 17-18] [880-जी; 881-ई-जी]

राजेन्द्र और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 (5) एस.सी.आर. 589 = **(2009) 13 एस.सी.सी 480 — अनुपयोज्य अभिनिर्धारित।**

नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (3) एस.सी.आर. 939 = (2007) 14 एस.सी.सी 150; *महाराष्ट्र राज्य बनाम अहमद शेख बाबाजन और अन्य* 2008 (14) एस.सी.आर. 1184 = (2009) 14 एस.सी.सी 267 — संदर्भित।

वाद विधि संदर्भः

1952 एस.सी.आर. 1091	**आश्रित**	**कंडिका 8**
1954 एस.सी. 621	**आश्रित**	**कंडिका 8**
ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316	**आश्रित**	**कंडिका 8**
2009 (5) एस.सी.आर. 589	**अनुपयोज्य अभिनिर्धारित**	**कंडिका 16**
2007 (3) एस.सी.आर. 939	**संदर्भित**	**कंडिका 17**
2008 (14) एस.सी.आर. 1184	**संदर्भित**	**कंडिका 17**

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः दांडिक अपील सं. 373 / 2006

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 18.7.2002 के 1997 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 9 और 44 में पारित निर्णय एवं आदेश से।

मनु शंकर मिश्रा, रितुराज चौधरी, मयूर चतुर्वेदी, सी.डी. सिंह — अपीलकर्ता की ओर से।

गोपाल सिंह, चंदन कुमार — उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार सुनाया गया —

गांगुली, न्या. 1. प्रारंभ में चार व्यक्तियों ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, किन्तु चूँकि उनमें से तीन, अर्थात् याचिकाकर्ता सं. 1, 2 और 3 ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनकी विशेष अनुमति याचिका दिनांक 05.01.2004 के आदेश द्वारा खारिज हो गई।

2. वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में दिनांक 27.03.2006 को अनुमति प्रदान की गई।

3. यह अपील, जो अब केवल मृत महिला के पति बीरेन्द्र पोद्दार के आग्रह पर जीवित है, उसकी दोषसिद्धि के एकमत निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। 1994 के सत्र विचारण सं. 380 में अपीलकर्ता भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन

कारावास की सज़ा भोगने का दंडादेश सुनाया गया। अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 498-क के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया और दो वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश सुनाया गया, दंड एक साथ चलने योग्य। उच्च न्यायालय ने अपील पर दोषसिद्धि एवं दंडादेशों की पुष्टि की।

4. हमने मामले के अभिलेखों का तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का और विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्णय का भी सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत किए। उनका मुख्य तर्क यह है कि मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शव की पहचान के विषय में पर्याप्त विरोधाभास है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा उद्धृत अनेक साक्षियों में से अ. सा. 1, 2 और 3 प्रतिकूल हो गए हैं और अन्य साक्षी, अर्थात् अ. सा. 5, 6, 7 और 8 संबंधी एवं हितबद्ध साक्षी हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस विषय में चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच पर्याप्त विरोधाभास है। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि अभिखंडित की जानी चाहिए और इस तथ्य को देखते हुए कि वह इन सभी वर्षों से अभिरक्षा में रहा है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह बचाव भी उठाया कि मृतका पीलिया से पीड़ित होने के कारण स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जिस संपूर्ण साक्ष्य पर अभियोजन ने आश्रय लिया वह मृत महिला के संबंधी हितबद्ध व्यक्तियों की साक्ष्य से मिलकर बनी है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के एकमत निष्कर्षों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन के मामले के सारवान भाग में कोई विरोधाभास नहीं है और अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव बिल्कुल भी सिद्ध नहीं किया गया है। विद्वान

अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि तथाकथित प्रतिकूल साक्षियों की साक्ष्य मामले के बचाव संस्करण का समर्थन नहीं करती और अभियोजन के मामले के सारवान भाग में कोई असंगति नहीं है तथा दोनों न्यायालयों, विशेषतः उच्च न्यायालय, ने मामले के तथ्यों का सही ढंग से मूल्यांकन किया है।

8. यह स्पष्टतः सत्य है कि यह मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह सत्य है कि जहाँ मृत्यु वैवाहिक गृह के भीतर होती है, वहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय को सतर्क रहना होगा और यह पता लगाना होगा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की शृंखला पूर्ण है या नहीं, और यह शृंखला इतनी पूर्ण एवं निर्णायक होनी चाहिए कि वह निर्विवाद रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करे। यह सुस्थापित है कि यदि साक्ष्य से कोई ऐसी परिकल्पना या संभावना उद्भूत होती है जो अभियुक्त के अपराध से असंगत हो, तो ऐसे मामले में केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अभियुक्त की दोषसिद्धि बनाए रखना कठिन है।

(देखें ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343 'हनुमंत गोविंद नरगुंदकर और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य', ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621 'भगत राम बनाम पंजाब राज्य' और ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316 'एरादु और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य')

9. उपर्युक्त चिरपरिचित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यदि हम मामले के तथ्यों पर दृष्टि डालें, तो हम अ. सा. 5, 6, 7 और 8 की साक्ष्य से, जिस पर अभियोजन ने आश्रय लिया, यह पाते हैं कि मृतका के साथ दुर्व्यवहार का एकसंगत साक्ष्य है। मृतका की पिटाई तथा उस पर चोट के निशान का भी साक्ष्य है। एकसंगत साक्ष्य है कि अपीलकर्ता का जानकी देवी, जो अपीलकर्ता के भाई की पत्नी है, के साथ अवैध संबंध था, और चूँकि मृतका उस महिला के साथ अपीलकर्ता के ऐसे अवैध संबंधों की शिकायत कर रही थी, उसे यातना दी जाती थी। मृतका ने

अ. सा.-8 को इस दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए कुछ पत्र लिखे थे, जिनमें से एक को प्रदर्श (प्रदर्श 1) बनाया गया है।

10. अब अपीलकर्ता द्वारा लिए गए बचाव संस्करण के प्रश्न पर आते हुए हम पाते हैं कि अपीलकर्ता का यह बचाव कि मृतका पीलिया से पीड़ित थी, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो सका। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका का पीलिया के लिए उपचार किया गया। कोई रोगविज्ञान (पैथोलॉजिकल) प्रतिवेदन नहीं है और न ही पीलिया के उपचार के लिए मृतका को दिए जा रहे किसी औषधि का कोई चिकित्सीय अनुदेश है। वह एकमात्र साक्ष्य जिस पर बचाव पक्ष इस मामले के समर्थन में आश्रय लेता है कि मृतका पीलिया से पीड़ित थी और उसे कुछ उपचार दिया गया था, अ. सा.-12 मो. नसीम की साक्ष्य है। अ. सा.-12 ने अपनी साक्ष्य में यह दावा नहीं किया कि वह चिकित्सा व्यवसायी है। उसने अपनी योग्यता का कोई साक्ष्य नहीं दिया। वह केवल यह दावा करता है कि वह खगनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है। अपनी साक्ष्य में भी अ. सा.-12 ने यह नहीं कहा कि मृतका पीलिया से पीड़ित थी। उसने केवल यह कहा कि उपचार के लिए मृतका को 02.09.1993 को पटना रेफर किया गया था। बचाव के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का यही सार-संग्रह होने पर हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जिस पर उच्च न्यायालय पहुँचा था कि ऐसा बचाव किसी भी विश्वसनीयता के योग्य नहीं है।

11. इसके विपरीत, डॉक्टर राजा राजेश्वर प्रसाद सिंह (अ. सा.-9), शव-परीक्षण चिकित्सक की स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर है और शव-परीक्षण प्रतिवेदन जो प्रदर्श-4 है, से मृतका के शव पर निम्नलिखित चोटें प्रकट होती हैं:—

"(i) थायरॉइड कार्टिलेज के स्तर पर गर्दन के अग्र भाग में कर्तन चोट — 4"X2"X2"। श्वासनली पूर्णतः कट गई है। दाहिनी और बाईं आंतरिक (अस्पष्ट) और बाह्य (अस्पष्ट), आंतरिक (अस्पष्ट) शिरा कट गई थी।

(ii) उदर के दाहिने भाग के ऊपरी भाग पर कर्तन चोट जिसके माध्यम से छोटी आँत बाहर थी। चोट का आकार 3"X2" उदर से संचारित।" (पेपर बुक से उद्धृत)

12. ये चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं।

13. अभिलेख पर की उक्त सामग्री को अभियुक्त के तथाकथित बचाव मामले के विरुद्ध परखते हुए उच्च न्यायालय ने, हमारे मत में उचित ही, यह अभिमत व्यक्त किया कि बचाव पक्ष का मामला अभिलेख पर की सामग्री से पूर्णतः असंगत है और यह वैवाहिक गृह में मानव-वध की मृत्यु का मामला है।

14. शव की पहचान के प्रश्न से निपटते हुए हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पहचान का सकारात्मक साक्ष्य था, न केवल मृत महिला के पिता (अ. सा.-8) द्वारा, बल्कि उसके चचेरे भाई और उसके सगे भाई अर्थात् अ. सा. 5 और 7 द्वारा भी। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि यह सत्य हो सकता है कि मृत्यु और शव-परीक्षण प्रतिवेदन के बीच के समय के अंतराल को देखते हुए शव में पथराव हो गया था, किन्तु शव-परीक्षण प्रतिवेदन में ऐसा कुछ नहीं है जो यह सुझाव करे कि शव पहचान से परे था। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता की ओर से चिकित्सक के प्रति-परीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह तथ्य नोट किया कि अस्पताल प्राधिकरण ने शव की अभिरक्षा बालिका के पिता को सौंप दी और तत्पश्चात शव का दाह-संस्कार किया गया। अभिलेख पर की सामग्री पर आधारित ऐसे स्पष्ट निष्कर्ष के दृष्टिगत हम यह नहीं पाते कि शव की पहचान के संबंध में साक्ष्य में कोई असंगति है।

15. अब मृतका के संबंधियों पर अभियोजन द्वारा आश्रय के प्रश्न पर आते हुए हम पाते हैं कि विधि यह सुस्थापित है कि केवल इसलिए कि साक्षी संबंधी हैं, उनकी साक्ष्य अस्वीकार करने का आधार नहीं है। दूसरी ओर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनेक मामलों में हमारे वर्तमान समाज की प्रवृत्ति को देखते हुए, जहाँ संबंधियों के अतिरिक्त अन्य साक्षी उपलब्ध नहीं होते, केवल संबंधी ही साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध होते हैं। निस्संदेह यह सत्य है कि हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ संबंधियों की साक्ष्य का परीक्षण किया है।

16. इस संदर्भ में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर आश्रय लिया है। *राजेन्द्र और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* [(2009) 13 एस.सी.सी 460] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आश्रय लिया गया। उस मामले में, यद्यपि प्राथमिकी में गला घोंटने का अभिकथन किया गया था और मृतका की गर्दन पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया था और चिकित्सक ने प्रति-परीक्षण में आत्महत्या की संभावना सुझाई थी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए (कंडिका 10) और अंततः अपील खारिज कर दी। हम यह मत रखते हैं कि उक्त निर्णय किसी भी प्रकार से इस मामले में अपीलकर्ता को कोई सहायता नहीं दे सकता।

17. दो अन्य निर्णय जिन्हें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उद्धृत किया, वे *नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य* [(2007) 14 एस.सी.सी 150] और *महाराष्ट्र राज्य बनाम अहमद शेख बाबाजन और अन्य* [(2009) 14 एस.सी.सी 267] के मामले में दिए गए, जो हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य के मूल्यांकन के प्रश्न से संबंधित हैं। वे दोनों निर्णय इस सुस्थापित सिद्धांत का अनुसरण करते हैं कि केवल इसलिए कि साक्ष्य हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दी गई है, वह उसे अस्वीकार करने का आधार नहीं है। हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि वर्तमान मामले

में अ. सा. 5, 6, 7 और 8 द्वारा दी गई साक्ष्य अत्यंत युक्तियुक्त है और इसने अभियोजन के मामले को स्पष्टतः स्थापित किया है।

18. अतः हम विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय में से किसी के द्वारा उनकी साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं देखते। यही स्थिति होने पर हम उपर्युक्त संदर्भित एकमत निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाते।

19. अतः अपील खारिज की जाती है।

आर.पी. अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।